



“जीवन प्रकाश” मंडल कार्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर (राज.)

निविदा से संबंधित नियम व शर्तें

भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय बीकानेर वर्ष 2026-27 के लिए प्रिंटेड स्टेशनरी की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु Empanelled vendors से निविदाएँ आमंत्रित करता है। संलग्न सूची में प्रयुक्त होने वाले कागज के आकार, प्रकार, एवं अन्य specifications का सम्पूर्ण विवरण दिया हुआ है। आपसे अनुरोध है इन Specifications के अनुसार ही अपनी दरें (without GST) प्रेषित करें। निविदा की अवधि एक वर्ष होगी, अनुमानित आवश्यकता संलग्न प्रपत्र में उल्लेखित है परन्तु आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार ही मँगवाई जाएगी। दरें सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

1. निविदाकर्ता को sample paper निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना है। Sample paper निविदा के साथ संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा कर्ता को निविदा के साथ ही EMD के रूप में ₹ 20725.00 Demand draft/ banker's cheque/NEFT(in favour of LIC OF INDIA) के द्वारा जमा करवाने होंगे। **MSE वेंडर को EMD राशि जमा करवाने की बाध्यता नहीं है, परन्तु इसके लिए वेंडर को MSE certificate निविदा के साथ ही संलग्न करना होगा।** Non MSE वेंडर को EMD नहीं देने की स्थिति में उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। Unsuccessful निविदाकर्ता को यह राशि (बिना ब्याज) निविदा खोलने की तिथि के 30 दिन के अंदर लौटा दी जाएगी।
3. संलग्न प्रारूप में अपनी दरें अंकित कर एक बंद लिफाफे में जिसके ऊपर “Printed stationery वर्ष 2026-27” लिख कर **अध्यक्ष, भंडार समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर – 334003** के नाम से प्रेषित करें।
4. निविदा award होने के पश्चात समय समय पर आवश्यकता अनुसार bidder को art work हेतु sample भेजा जाएगा जिसे प्राप्त होने के 10 दिवस के भीतर आर्ट वर्क करके हमारे पास पहुंचाना होगा। आर्ट वर्क अनुमोदित होने के पश्चात order देने की तिथि से 30 दिन में सामान की आपूर्ति करनी होगी।
5. निर्धारित 30 दिनों के भीतर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में विलंब अवधि पर 0.5% (बिल राशि का) प्रति सप्ताह विलंब शुल्क लगाया जाएगा जो अधिकतम 5% (बिल राशि का) होगा।
6. Tender value या आपूर्ति किए जाने वाले सामान की कीमत एक लाख रु से अधिक होने पर successful bidder को security deposit at 5% of contract value जमा करवानी होगी। यह राशि निविदा समाप्त तिथि के पश्चात बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
7. सामान की आपूर्ति 70 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी। सामान की आपूर्ति नहीं करने अथवा तय मानको के अनुसार नहीं करने पर सक्षम अधिकारी के पास फर्म को blacklist घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. Tax की कटौती भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी।
9. निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। दरें जीएसटी रहित (without GST) केवल संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूची/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।

10. निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति मंडल कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम "जीवन प्रकाश" जयपुर रोड, बीकानेर पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा।
11. निविदाकर्ता को निविदा में वर्णित quality standard के अनुरूप ही आपूर्ति करनी है। प्रयोग में लिए गए कागज की quality, निविदा के साथ भेजे गए samples/ specifications के अनुसार नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण आपूर्ति को अस्वीकार या penalty के साथ स्वीकार किया जा सकता है। इस परिस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय final होगा।
12. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा।
- 13. सामान की आपूर्ति मंडल कार्यालय की मांग के अनुसार ही मँगवाई जाएगी।**
14. निविदा की अवधि एक वर्ष होगी। इस अवधि को परिवर्तित करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। निविदा अवधि के दौरान किसी भी आइटम की कुल मात्रा को 25% तक बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।
15. सक्षम अधिकारी के पास किसी भी निविदा को निरस्त करने, निविदा के किसी सामान को निरस्त करने, सामान की संख्या घटाने/बढ़ाने, न्यूनतम quotation आने पर भी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
16. Damaged/ Unusable आपूर्तित सामान को निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर वापिस मंगवाना होगा।
- 17. बंद लिफाफे में निविदा के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 23.07.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक है एवं दिनांक 23.07.2026 को अपराह्न 03.00 बजे निविदा खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतःसमझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट हैं।**

18. **INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015**

1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI.
2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as "Investigating Officer", to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India.

संलग्न : Item specification document



“जीवन प्रकाश”मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, सेक्टर नंबर 6-7, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)

UNDERTAKING

REF : TENDER NO. 02-2026/ STATIONERY

We hereby confirm that we have not been black-listed by LIC or PSU/BFSI organization / Government / Semi Govt. / Quasi Govt. Departments in India, as on date of submission of bid in response to the above.

I am also agree with your term and conditions quoted in tender.

Dated at _____ this _____ day of _____ 20_____ .

Authorized Signatory
Signature

Name :

Designation:

Name and Address & Seal of the company: